अ0शा0 परिपत्र संख्याः 10 /2012

अतुल,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1-बी0एन0 लहरी मार्ग,
दिनांकःलखनऊः फरवरी 4 , 2012

प्रिय महोदय,

प्रदेश में अपराधियों द्वारा कारित किये गये अपराधों को सुव्यवस्थित ढ़ंग से कम्प्यूटरीकृत किये जाने के निमित्त तकनीकी निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा CR-4 साफ्टवेयर विकसित किया गया है। तकनीकी निदेशालय द्वारा विकसित किये गये साफ्टवेयर में डाटा फीडिंग हेतु प्रत्येक जनपद से 2-3 कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इस मुख्यालय के पत्र संख्याः डीजी-माफिया-प्राधि0सेल-6/2007 दिनॉकितः 16.08.2011 एवं 22.09.2011 द्वारा **अपराध शीर्षक** क्रमशः **1-डकैती, 2-लूट, 3-उद्यापन (धमकी देकर पैसे की वसूली करना), 4-फिरौती हेतु अपहरण, 5-हत्या के ऐसे मामले जिसमें पेशेवर हत्यारों को प्रयोग किया गया है, 6-ऐसे अपराध जिसमें अर्द्धस्वचालित/स्वचालित हथियारों का प्रयोग हुआ है व 7-ऐसे अपराध जिसमें वाहन चोरों के गिरोह प्रकाश में आये हैं,** में संलिप्त अपराधियों एवं उनके अपराधों का विवरण साफ्टवेयर में फीड किया जाना है। किन्तु संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों द्वारा साफ्टवेयर में डाटा फीड करने के कार्य में रूचि नहीं ली जा रही है।

CR-4 साफ्टवेयर पर सुव्यवस्थित ढ़ंग से कार्य करने के निमित्त निम्नांकित आदेश निर्गत किये जाते हैं:-

- डाटा फीड करते समय प्रशिक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों के अनुसार ही डाटा फीडिंग की जाय। किसी अन्य श्रोत से अपराधियों एवं उनके अपराध के विवरण को COPY करके PASTE न किया जाय। डाटा फीड करते समय प्रत्येक अपराधी एवं उनके द्वारा किये गये अपराध की कोड संख्या साफ्टवेयर द्वारा स्वतः निर्धारित की जाती है, अन्य तरीके से फीड किये गये विवरण को साफ्टवेयर कोड संख्या आवंटित नहीं करता है।

- साफ्टवेयर पर अपराधी के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचनाओं को निरन्तर अद्यावधिक किया जाय।

- प्रथम चरण में वर्ष 2001 से अब तक के डाटा की फीडिंग साफ्टवेयर में किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं किन्तु कतिपय जनपदों द्वारा मात्र 02 से 03 वर्षों का विवरण ही साफ्टवेयर में फीड किया गया है। कम अवधि के डाटा फीडिंग का सीधा कुप्रभाव CR-4 की उपयोगिता पर पड़ता है। अतएव अधिक अवधि के डाटा फीडिंग का कार्य अपरिहार्य है।

- CR-4 साफ्टवेयर में डाटा फीड करने के उपरान्त फीड किये गये अपराधी का पूर्ण विवरण आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त प्राप्त किया जा सकता है। साफ्टवेयर के द्वारा किसी भी जनपद के अपराधियों का जनपद चयनित कर टाप-5/10/20/50 का

सम्पूर्ण विवरण देखा जा सकता है, किसी क्षेत्र विशेष के अपराधी की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, भले ही उस अपराधी द्वारा अन्य क्षेत्रों में अपराध किया गया हो। उक्त के अतिरिक्त साफ्टवेयर में फीड किये गये अपराधी से सम्बन्धित गैंग, अपराधिक इतिहास, अपराधियों के अन्य विवरण जैसे उनके वकील, जमानतदार व रिश्तेदार आदि की भी जानकारी की जा सकती है।

- उपरोक्त शीषकों के अन्तर्गत अपराधियों का विवरण फीड कराकर फीड किये गये डाटा की फाइल कम्प्यूटर के **"C" DRIVE के PROGARM FOLDER के CRIMINAL FOLDER से CRIMINAL (केवल MS ACCESS की CRIMINAL FILE ही) नाम की फाइल COPY करके सी0डी0 के माध्यम से** इस मुख्यालय को प्रेषित की जाय।

- जनपद स्तर पर किये जा रहे डाटा फीडिंग का पर्यवेक्षण का कार्य परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा भी किया जाय तथा प्रत्येक माह फीड किये गये डाटा का विवरण संलग्न प्रारूप के अनुसार नियमित रूप से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

2- मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप द्वारा अपराध एवं अपराधियों के डाटा को CR-4 साफ्टवेयर में व्यवस्थित कराकर लाभ प्राप्त करने हेतु दृढ़तापूर्वक पूर्ण मनोयोग से कार्यवाही करायी जायेगी, जिससे अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण के साथ-साथ विवेचनात्मक कार्यवाही में अपेक्षित परिणाम प्राप्त किया जा सके।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय

(अतुल) 4.2.

समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक/
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उ0प्र0।

प्रतिलिपिः- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0 को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रारूप

CR-4 साफ्टवेयर में अपराध एवं अपराधियों से सम्बन्धित सूचनाओं का अभिलेखीकरण किये जाने की अवधि वर्ष-2001 से

परिक्षेत्र	जनपद	अवधि	शीर्षक	पिछले माह तक कितने अपराधियों का डाटा फीड किया गया	माह में कितने अपराधियों का डाटा फीड किया गया	कुल कितने अपराधियों का डाटा फीड किया गया	कुल कितने अपराधियों का डाटा फीड किया जाना शेष है	कितनी विवेचनाओ/ अन्य प्रकरणों में इसका प्रयोग किया गया।